कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 282 /गाजियाबाद/10947/2015, दिनांक, लखनऊ, अगस्त 02 , 2017

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारत सरकार,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : गाजियाबाद में दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस–वे (ग्रीनफील्ड परियोजना) के निर्माण हेतु 14.018 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 1.035 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 15.053 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2760 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/02/2017/एफसी/70, दि0 01.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा दिनांक 30.05.2017 को हुई क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त अभिलेख सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थे।

वन संरक्षक, मेरठ के पत्रांक–343/14–1, दिनांक 25.07.2017 द्वारा वांछित अभिलेख संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं। अतः वन संरक्षक, मेरठ के पत्र दिनांक 25.07.2017 की संलग्नक सहित एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत करने की कृपा करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 282 / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2, लखनऊ को **संलग्नक सहित** एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार से स्वीकृति निर्गत कराने हेतु शासन स्तर से भी लिखने की कृपा करें।

2– वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।

3– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, गाजियाबाद।

4– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पी0आई0यू0, गाजियाबाद।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।